सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-7110/MP/933/2026-RO-BH/RU-I** **दिनांक: ०८.06.2026**

मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल-462004, मध्य प्रदेश
ई-मेल: cs@mp.nic.in

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल-462004, मध्य प्रदेश
ई-मेल: psrevenue@mp.gov.in

प्रमुख सचिव,
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश 462004
ई-मेल: pstwd@mp.gov.in

विषय: **दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर ''9 IAS ने दी थी 1500 एकड़ आदिवासी भूमि बेचने की मंजूरी'' के संबंध में।**

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 16.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

ई मेल /e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes
भारत सरकार
Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)
कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-7110/MP/933/2026-RO-BH/RU-I　　　　दिनांक: 16/03 /2026

1. मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
Email Id: cs@mp.nic.in
Tel. No: 0755-2441100

2. प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग,
भू-तल, वल्लभ भवन - 2,
मंत्रालय, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011

3. प्रमुख सचिव
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश 462004
Email Id: pstwd@mp.gov.in
Tel. No: 07552708350

विषय: **दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "9 IAS ने दी थी 1500 एकड़ आदिवासी भूमि बेचने की मंजूरी" के संबंध में।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दैनिक भास्कर से दिनांक 27/02/2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

o/c

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 358, 59, 60
दिनांक / Date 18/03/26